

Done  
Pr

2018/00179(25)

राजस्व लोक अदालत अधिनियम  
न्याय आपके द्वार 2018  
के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत।

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

खैड़वा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जानपालिया की जमाबन्दी

संवत् 2078-73 खाता संख्या 149 में -

Sir,

निवेदन है कि ग्राम जानपालिया पंचायत क्षेत्र जानपालिया में राजस्व आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जानपालिया नाम के सरकारी विद्यालय है जो मे भए प्राथमिक स्तर का था जो वर्तमान में क्रमगत होने के कारण उ. मा. वि. जानपालिया हो गया परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में अभी भी उ. मा. प्रा. के जानपालिया दर्ज है। अतः श्रीमान् की से निवेदन है कि राजस्व प्राथमिक विद्यालय जानपालिया की जगह राजस्व रेकॉर्ड में राजस्व आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जानपालिया दर्ज करवाने का आदेश किये

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।



Pr  
प्रार्थी  
जानपालिया

दिनांक :

उकल वं 24/18 दि. 24.5.18


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान श्री. गणेशजी, त्रिकेन ही गांव. जानपालिका में राजकीय प्राथमिक विद्यालय -  
जानपालिका नाम के रिकॉर्ड में विद्यालय एक हुआ था। जॉय डायर वर्तमान  
में सरकारी शिफ्टों के क्रमोन्वय होकर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय  
जानपालिका के गपा है जो सही है। इन राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय प्राथमिक  
विद्यालय जानपालिका के स्थान पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय  
का नाम उचित है।

  
रिपोर्टिंग अधिकारी  
  
पटवारी/भू.अ.नि.

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी व भू.अ.नि. रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट एवं स्वयंपंच  
के आवेदनानुसार विद्यालय क्रमोन्वय होने से विद्यालय  
का नाम 'राजकीय प्राथमिक विद्यालय जानपालिका' के  
स्थान पर 'राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय  
जानपालिका' डुरस्त करने में अनुशंसा की जाती है।

  
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

आदेश

तहसीलदार सेडवा, ICR सुधारन कारवा, पटवारी जानपालिका से प्राप्त जांच  
रिपोर्ट एवं शर्ही द्वारा जांचना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों के  
आधार पर विद्यालय का नाम 'राजकीय प्राथमिक विद्यालय  
जानपालिका' के स्थान पर 'राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक  
विद्यालय जानपालिका' डुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।  
इसके अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रथम डुरांतर करने का तहसीलदार  
सेडवा के आदेश दिया जाता है। पत्रावली फलल सुमार  
होकर राखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी

.....  
उपखण्ड अधिकारी.....  
चौहटन

